हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

05.12.22 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों से पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में है मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावे। इसके विपरीत अभिभाषक विप्रार्थी संख्या 1 अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। विप्रार्थी संख्या 1 वक्त खरीद दिनांक 05.01.1976 से काबिज होकर रहवासीय ढाणी बनाकर अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि को समतल कर खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाकर शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में अपने हिस्से की भूमि पर आवास निर्माण करवा रहा है, प्रार्थी द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर केवल मात्र विप्रार्थी संख्या 1 के स्वीकृत आवास को रूकवाने की नीयत से स्थगन जारी करवाया गया। अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि विप्रार्थी संख्या 1 के आवास निर्माण व कब्जा काश्त की जमीन में विकास को रोका जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार के लिये घर बनाया है है विकास के लिये सिंचाई के साधन बनाये हैं विप्रार्थी अपने परिवार के साथ निवासरत है जिसे बेचकर विप्रार्थी अपने परिवार को बेघर करना नहीं चाहता है। प्रार्थी द्वारा गलत, मनगढन्त व भ्रामक तथ्यों के आधार पर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विवादित स्थल के फ़ोटोग्राफ्स का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 4/117 वां हिस्सा है तथा विप्रार्थी संख्या 1 का भी 4/117 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, हिस्से खुले हुए हैं परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में होने प्रार्थी को बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। चूंकि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री के अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 वक्त खरीद दिनांक 05.01.1976 अर्थात 46 वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा फोटोग्राफ्स के अवलोकन से विप्रार्थी संख्या 1 का आवास निर्माणाधीन है। प्रार्थी द्वारा अस्थाई स्थगन दिनांक 11.09.2021 विप्रार्थी संख्या 1 के स्वीकृत आवास को रूकवाने मात्र से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है, विवादित भूमि का विभाजन वाद पत्र से तय होना है, इस प्रकार एक [illegible] रखकर उसके भौतिक सुख सुविधाओं से बंचित रखा जाना न्यायाल[illegible]चित [illegible] समझती है। अतः विवादित आराजी ग्राम उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा [illegible] 1199 रकबा [illegible]595 के सम्बन्ध में इस न्यायालय [illegible] 11.09.2021 निरस्त की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान [illegible]तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:31:48 IST
Reason: Self Attested